

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रतापनगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/

दिनांक:-

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 व वित्त विभाग, जयपुर राजस्थान सरकार के आदेश/अधिसूचना क्रमांक संख्या एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान), 2017 के नियम 13 के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पे-मैट्रिक्स के लेवल अनुसार दिनांक 01.07.2018 से वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	मैट्रिक्स लेवल	वर्तमान सेल नम्बर	वर्तमान वेतन	वार्षिक वेतन वृद्धि पश्चात् सेल नम्बर	वार्षिक वेतन वृद्धि पश्चात् वेतन
1.	डॉ. मनीष शर्मा	राज. होम्यो. चिकि., पी. एच.सी. रेवदर-सिरोही	L-14, 56100-177500	1	56100	2	57800
2.	डॉ. राधेश्याम नागर	राज. होम्यो. चिकि., CHC, F.R.U.K. पाटन (केसोराय पाटन) बूंदी	L-14, 56100-177500	1	56100	2	57800

नोट:- इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व वेतन वृद्धि आदेश क्रमांक 5974-75 दिनांक 16.08.2018 में क्र.सं. 219 पर अंकित डॉ. मनीषा शर्मा का पदस्थापन स्थान राज.होम्यो.चिकि., पी.एच.सी. रेवदर, सिरोही के स्थान पर राज.होम्यो.चिकि., मोरथला सिरोही पढा जावे।

(डॉ. मनीषा सक्सैना)

कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक

दिनांक:- 4-7-19

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/3236-40

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय की लेखा शाखा को दो प्रतियों में।
3. विभागीय नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाइट को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड करावे।
4. सम्बन्धित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, श्री
5. रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक